अनुसूची –अ

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकडे रूपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें		परिवर्तन ीील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउन्डअप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक								दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13	14	15
6500.00	250.00	2825.00	108.65	9325.00	358.65	359.00	अकुशल	6500.00	250.00	3150.00	121.15	9650.00	371.15	371
7057.00	271.42	3125.00	120.19	10182.00	391.62	392.00	अर्धकुशल	7057.00	271.42	3450.00	132.69	10507.00	404.12	404
8435.00	324.42	3125.00	120.19	11560.00	444.62	445.00	कुशल	8435.00	324.42	3450.00	132.69	11885.00	457.12	457
9735.00	374.42	3125.00	120.19	12860.00	494.62	495.00	उच्चकुशल	9735.00	374.42	3450.00	132.69	13185.00	507.12	507

स्पष्टीकरण–

(1) मजदूरी निर्धारण मे पैसे तथा रूपये के गुणांको को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9–7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर,2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हे अगले उच्चतर रूपये मे पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। विशेष टीप :– उपर्युक्त अनुसूची –क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है। इसलिए सभी कर्मचारियो एवं श्रमिको को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात मासिक वेतन मे से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटोत्री नहीं की जा सकेगी।

(2) अकुशल श्रमिको के लिए दर्शाई गई वेतन दरो पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिको के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001–100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकडों के औसत पर आधारित है । 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात मे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मे वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील महगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।

(3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा मे कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नही हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 12(1–ए)

टीप– न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, के अन्तर्गत 67 अनुसूचित नियोजनो की सूची परिशिष्ट–अ तथा इस संबध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट–ब में देखे।

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर